(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 4987/2018/सतना/भू0रा0 विरूद्व आदेश दिनांक 04–8–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण 20/पुनर्विलोकन/2017–18

---

1. मुस0 ललिता सिंह बेवा स्व0 जैपाल सिंह
2. समसेर सिंह पिता स्व0 श्री जयपाल सिंह
3. बीरेन्द्र सिंह पिता स्व0 श्री जयपाल सिंह
4. खड़क सिंह पिता स्व0 श्री जयपाल सिंह
5. सुरेन्द्र सिंह पिता स्व0 श्री जयपाल सिंह
6. मुस0 ललई देवी बेबा श्री समरजीत मृत
7. दादूलाल सिंह पिता श्री समरजीत सिंह
8. कमलेश सिंह पिता श्री समरजीत सिंह
9. जयराम सिंह पिता श्री समरजीत सिंह
10. भरत सिंह पिता श्री समरजीत सिंह
11. अ– राजेन्द्र सिंह पिता श्री जगबहादुर सिंह
    ब– ज्ञानबहादुर सिंह तनय श्री जगबहादुर सिंह
12. सचिदानंद तनय श्री लालबहादुर सिंह
13. आनन्द सिंह उर्फ सत्येन्द्र सिंह तनय श्री लालबहादुर सिंह
14. मुस0 शान्ती देवी सिंह बेवा स्व0 रावेन्द्र सिंह
15. बलवंत सिंह तनय श्री हरवंश सिंह
16. मोतीमन सिंह तनय श्री महेश्वर सिंह
17. मुस0 सुशीला सिंह पत्नी स्व0 रावेन्द्र सिंह
    सभी निवासी ग्राम घोरहटी, तहसील नागौद
    जिला सतना म0प्र0
18. श्रीमती सुन्दरसिंह पुत्री श्री हरवंश सिंह
19. श्रीमती अमरन सिंह पुत्री श्री हरवंश सिंह
    निवासी ग्राम जमोड़ी तहसील ब्यौहारी
    जिला शहडोल म0प्र0 .....आवेदकगण

बनाम

सत्यनारायण सिंह पिता श्री सरजू सिंह
निवासी ग्राम घोरहटी, तहसीलें नागौद
जिला सतना म0प्र0 .....अनावेदक

श्री हीरालाल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजेन्द्र पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 03/11/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 04–8–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना के प्रकरण कमांक 8/अपील/2009–2010 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 23–3–2018 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर आयुक्त के आदेश को आवेदकगण द्वारा पुनर्विलोकन में चुनौती दिये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 04–8–2012 से पुनर्विलोकन ग्राह्यता के बिन्दु पर अग्राह्य किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन में आवदेक ने अपीलीय न्यायालय में हितबद्ध पक्षकार न बनने तथा पक्षकार समय में न बनाने पर अपील उपशमित हुई इस बिन्दु पर आवेदन दायर किया। तर्क में रिकार्ड में आवेदन में पाया जाता है कि जानकारी दिनांक से पक्षकार बनाने के आवेदन को स्वीकार किया गया तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। आवेदक अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि वारिसानों को रिकार्ड में नहीं लाया गया है जबकि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 03–10–2015 को समाचार पत्र में प्रकाशन होने के

[redacted] एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। अपर आयुक्त न्यायालय में अपील की प्रचलनशीलता संबंधी आधार अपील/पुनर्विलोकन में नहीं उठाया था, ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन आदेश के पश्चात यह बिन्दु इस न्यायालय नहीं उठाया जा सकता। आवेदक द्वारा ऐसी कोई अभिलेखी त्रुटि का उल्लेख नहीं किया गया जिसे अपर आयुक्त ने अपने आदेश पारित करते समय ध्यान न दिया हो।

संहिता की धारा 51(क) पुनर्विलोकन के आधार– पुनर्विलोकन का उपचार अपीली एवं पुनरीक्षण से नितांत भिन्न है। इस अधिकारिताका प्रयोग केवल उन आधारों तक सीमित है जो धारा 51 की उपधारा (2) में निर्दिष्टि किए गए हैं। सिविल प्रकिया संहित, 1908 में पुनर्विलोकन के जो आधार बतलाए गए है उनके अतिरिक्त किसी आधार पर पुनर्विलोकन की अधिकारिता का प्रयोग वर्जित है। सिविल प्रकिया संहित, 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47, नियम 1 के अनुार पुनर्विलोकन के केवल तीन आधार हैं –

(1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या

(2) मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती; या

(3) कोई अन्य पर्याप्त कारण।

संहिता की धारा 51 पुनर्विलोकन हेतु यह आवश्यक है कि प्रकरण में नवीन तथ्य पेश किए गये हो तथा विहित प्रश्नों पर न्यायालय से चूक हुई हो। ऐसे कोई तथ्य जो नवीन या विधिक हो अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक ने नहीं रखे। इस संबंध में 2007 आर एन 269 हेमंत कुमार पाराशर विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहित, 1959 (म0प्र0) –– धारा 51 तथा 237 –– पुनर्विलोकन –– केवल अभिलेख के देखने से ही प्रकट भूल के आधार पर किया जा सकता है।

इसी प्रकार 2007 आर एन 271 एवं 2018 आर एन 353 में इसी से संबंधित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपदित किये गये हैं। अतः पुनर्विलोकन का आवेदन आधारहीन होने से निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह वैधानिक होने से स्थिर रखा जाता है।

जहां तक भूमि में हक का प्रश्न है इसके लिए उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र हैं।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–8–2018 स्थिर रखा जाता है।

03/11/18

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर